मध्य रेल | मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय
संरक्षा शाखा, पुणे

संख्या. पुणे/ सं. / संरक्षा परिपत्र / 38 / 10 -11 | दि. 17.09..2010

सभी संबंधित
पुणे मंडल

संरक्षा परिपत्र संख्या 07 / 2010-11

25 के. वी. ऊपरी उपस्कर से संबंधित सावधानियाँ

विषय – **1.** सभी बाहरी स्विचों की चाबीयों के बारें में सावधानियाँ।

2. स्टेशन मास्टरों द्वारा आपात स्थिति में आइसोलेटर स्विचों का प्रचालन।

3. सप्लाई नियंत्रण पोस्टों में प्राधिकृत अनुरक्षण कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश।

संदर्भ – सामान्य तथा साधारण नियम 17.03- 4 – 1 से 4

स. नि. 17.03 - 4 (1) क) सभी बाहरी स्विचों की चाबियाँ सामने की ओर शीशे लगे हुए बक्सों में बन्द करके स्टेशन मास्टरों, केबिन सहायक स्टेशन मास्टरों, स्विचमैनों या अन्य व्यक्तियों की, जो स्विचों के समीप सुविधाजनक स्थान पर तैनात किये गये हों, की अभिरक्षा में रखी जायेंगी। ये चाबियाँ, माँगी जाने पर केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को ही दी जायेंगी, और चाबियाँ प्राप्त करने के प्रमाणस्वरूप उनके हस्ताक्षर इस काम के लिए रखे गये रजिस्टर में लिए जायेंगे।

ख) ऐसे सभी कमरे या अहाते, जिसमें विद्युत्मय उपस्कर स्थित हो, ताला लगाकर रखे जायेंगे और उनकी चाबियाँ प्राधिकृत व्यक्तियों की अभिरक्षा में रहेंगी। इसकी दूसरी चाबी शीशे के ढक्कनवाले एक बक्स में रखी जायेगी जिसे मंडल विद्युत इंजीनियर (कर्षण वितरण) द्वारा शीशे के ढक्कन को तोड़कर निकाली जा सकती है। चाबी के इस प्रकार से इस्तेमाल किये जाने के प्रत्येक मामले का एक रिकार्ड रखा जायेगा।

चाबी बोर्ड का शीशा तोड़े जाने पर चाबी या चाबियां सहायक स्टेशन मास्टर या स्विचमैन की निजि अभिरक्षा में तब तक रखी जायेंगी जब तक दूसरा शीशा न लगा दिया जाये। कर्षण पावर (शक्ति) नियंत्रक इस बात का रिकार्ड रखेगा कि ये चाबियाँ कहाँ रखी जाती है जिससे वह आपात स्थिति में कर्मचारियों को वहाँ भेज सके। जब दूसरी चाबी प्राप्त करने के लिए शीशे का ढक्कन तोड़ा जाये, तो सम्बन्धित कर्षण फोरमैन (ऊपरी उपस्कर) को दूसरा शीशा लगाने के लिए तुरन्त सूचित किया जायेगा। शीशा बदलने वाला व्यक्ति प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा जो शीशा बदलने की तारीख लिख देगा।

ग) सामान्यतया विद्युत्मय बिजली उपस्कर लगे हुए कमरे में या अहाते में काम करनेवाला व्यक्ति, उस कमरे या अहाते की चाबियां अपने पास रखेगा। कमरे या अहाते में ताला लगा देने के बाद, ये चाबियां उस व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेंगी, जिसके पास ये चाबियां सामान्यतया रखी जाती हैं।

घ) जब तक ये चाबियां उस बक्स में न रखी दी जायें या उस व्यक्ति को, जिसके पास सामान्यतया रखी जाती है, वापस न लौटा दीं जायें, तब तक कार्य अनुमति कार्ड रद्द नहीं किये जायेंगे।

2 क) आपात स्थिति में इन स्विंचों का प्रचालन कर्षण पावर (शक्ति) नियंत्रक के विशिष्ट निर्देश के अनुसार स्टेशन मास्टर या केबीन सहायक स्टेशन मास्टर / स्विचमैन करेगा ।

ख) ऊपरी उपस्कर के खराब हो जाने की स्थिति में, जब कि खराब सेक्शन के अलावा किसी अन्य सेक्शन को पृथक करने कि आवश्यकता हो, तो सहायक कर्षण फोरमैन (ऊपरी उपस्कर) या कोई प्राधिकृत व्यक्ति, कर्षण पावर (शक्ति) नियंत्रक से कहकर अच्छे सेक्शन को भी पृथक करवाने का प्रबंध करेगा लेकिन यदि आवश्यक हो तो वह उन स्विचों को स्वंय खोलेगा, जिनका आसानी से प्रचालन किया जा सकता है ।

ग) यदि कर्षण पावर (शक्ति) नियंत्रक किसी आइसोलेटर स्विच को खुलवाना या बन्द करवाना चाहे तो वह सहायक कर्षण फोरमैन (ऊपरी उपस्कर) या स्टेशन मास्टर, केबीन सहायक स्टेशन मास्टर, स्विचमैन या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से अपेक्षित स्विच का प्रचालन करने के लिए कहेगा । संबधित व्यक्ति आदेशों का पालन करने के बाद स्विच को या तो “ खुली (ओपेन) या “बन्द” (क्लोज्ड) हालत में, जैसी भी स्थिति हो, ताला लगा कर बन्द कर देगा और कर्षण पावर (शक्ति) नियंत्रक को की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा । कर्षण पावर (शक्ति) नियंत्रक से अगला आदेश मिलने तक वह चाबी किसी को भी नही देगा । संबधित व्यक्ति इस प्रकार के हर एक प्रचालन का रिकार्ड रखेगा ।

चाबी देने से संबंधित प्रत्येक अनुदेश की पुष्टि प्राइवेट नम्बरों के आदान – प्रदान द्वारा की जायेगी ।

घ) प्रत्येक स्टेशन मास्टर, केबिन सहायक स्टेशन मास्टर या स्विचमैन, अपने स्टेशन में या अपने केबिन के पास स्थित ऊपरी उपस्कर के बिजली सप्लाई के नियंत्रण के लिए लगाये गये आइसोलेटर स्विचों की जगह की जानकारी रखेगा और आपात स्थिति में उन्हें खोलने या बन्द करने के सही तरीके की जानकारी भी रखेगा ।

3) प्राधिकृत अनुरक्षण कर्मचारियों और उनके सहायकों (जब उनके साथ हो) और उन व्यक्तियों को, जिनको मंडल विद्युत इंजीनियर (कर्षण वितरण) द्वारा विशेष अनुमति दी गयी हो, को छोड़कर तथा निम्नलिखित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सप्लाई नियंत्रण पोस्टों में प्रवेश नहीं मिलेगा ।

क) वह व्यक्ति जिसके साथ मंडल विद्युत इंजीनियर (कर्षण वितरण) या सहायक विद्युत इंजीनियर (कर्षण वितरण) हो ।

ख) किसी दुर्घटना के प्रकरण में चिकित्सा के लिए बुलाया गया डाक्टर ।

ग) संबंधित रेल क्षेत्र का सरकारी विद्युत निरीक्षक ।

घ) उस परिसर में लगे टेलीफोन पर बात करने के लिए किसी अधिकारी द्वारा बुलाया गया कोई व्यक्ति ।

4) प्रचालक (आपरेटर) या लाइनमैन से नीचे के पद के किसी व्यक्ति को अकेले सप्लाई नियंत्रण पोस्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(सु. रविचंद्रन)

मंडल संरक्षा अधिकारी / पुणे